

No. 2019/HQ/Admin/RTI-750

New Delhi: 01.11.2019

Sh. Mahendra Nath  
S/o Late Lallan  
Grand Father Late Suruj Tiwari  
Village Keshawpur, District-Chandauli

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

**Ref: Your letter dated 09-09-19 and 21-09-19 addressed to CVO.**

उपरोक्त उल्लिखित आपके दो आवेदनों को CVO के कार्यालय के माध्यम से PIO के कार्यालय में पुनः प्राप्त किया गया है। दोनों पत्रों की जांच की गई है और बार-बार पढ़ी गई हैं, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि आरटीआई अधिनियम के तहत आप वास्तव में क्या जानकारी चाहते हैं, या आपने शिकायत की है।

चूंकि पीआईओ अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद प्रतिक्रिया नहीं दे सका, इसलिए आपसे अनुरोध है कि स्पष्ट और विशिष्ट वाक्यों में जानकारी मांगने वाले बिंदुओं को इंगित करें, ताकि पीआईओ आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना की पुष्टि कर सके।

यह आपको सूचित किया जाता है कि अधिनियम के तहत शिकायतों / बयानों पर विचार नहीं किया जाता है। आपके द्वारा भेजा गया आईपीओ भी आपको वापस भेज दिया जाता है क्योंकि वही सीवीओ के पक्ष में बनाया गया है। कृपया DFCCIL के पक्ष में रु। 10/- का आईपीओ भेजें।

*S.K. Panda*  
(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: [skpanda@dfcc.co.in](mailto:skpanda@dfcc.co.in)

9717636811



*OK*  
*Janam*  
*11/11/19*